

कार्यालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर) 45

परिवादी अधिकारी :- अमिताभ कौशिक (आर.ए.एस.)

परिवाद संख्या :- 33/2016

श्याम सुन्दर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
जयपुर जोन जयपुर।

-आवेदक

बनाम

1. श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री ग्यारसीलाल गुर्जर (विक्रेता)
मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल,
भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा पो0 पावटा तहसील
कोटपूतली जिला जयपुर।
2. श्री ग्यारसीलाल गुर्जर (मालिक)
मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल,
भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा पो0 पावटा तहसील
कोटपूतली जिला जयपुर।

-अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011
निर्णय दिनांक 15/03/2017

उक्त परिवाद प्रार्थना-पत्र श्री श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त
निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर ने अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा
2 (ii) एफएस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य
इस प्रकार है कि श्याम सुन्दर दिनांक 28/09/2015 को कार्यालय संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी
का कार्य सम्पादन कर रहा थे, और उसे राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना
क्रमांक/एच./एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29/11/11 के अनुसार
संयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान,
जयपुर के आदेश क्रमांक एच./एफएसएसए/(एफ-28)/नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक
02/02/2012 तथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना कार्य क्षेत्र दिनांक
09/09/2015 के अनुसार श्री श्याम सुन्दर का कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर आवंटित किया गया। परिवादी दिनांक
09/09/2015 को 5.30 पी.एम. मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल, भोमियाजी मन्दिर के पास
टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर पर रतनलाल वर्मा के साथ पहुंचा।
श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री ग्यारसीलाल गुर्जर उपस्थित थे। श्री रामसिंह गुर्जर को
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर
श्री रामसिंह गुर्जर ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया एवं उन्होंने मौके पर वेट
नंबर -03 एवं प्रारूप 8 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
निर्णयन करने पर विक्रेता की पैकिंग इकाई में 08 गत्ते के कार्टून (प्रत्येक कार्टून में 30

श्याम सुन्दर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली, जिला जयपुर

46
बोतल 1/2 लीटर वजनवाली) में डबल फिल्टर सरसों तेल (नन्दी) की कुल 240 सील्ड
(08x30x1/2) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। इनमें मिलावट/मिसब्राण्ड
शक होने पर वास्ते जांच हेतु एक कार्टून में से डबल फिल्टर सरसों तेल (नन्दी) की 04
पेट (4X1/2 liter) खरीद कर उनकी कीमत 140/- रुपये विक्रेता श्री रामसिंह गुर्जर को
अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री
विशोरमल शर्मा तथा रतनलाल वर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य
सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने से पहले मौके पर फार्म संख्या 5 ए
दो प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर
को कहा जिसे श्री रामसिंह गुर्जर ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर
की। फार्म संख्या 5 ए की प्रति विक्रेता श्री रामसिंह गुर्जर को देकर रसीद प्राप्त की।
आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीदशुदा डबल
सरसों तेल (नन्दी) की 04 सील्ड पेट (4X1/2 liter) पर लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल
लेबल चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर जोन के कोड एवं क्रमांक ए.सी.-779 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर
विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को
अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर जोन की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 ए.सी.-779
नमूना चारो नमूना बोतलों के नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक
को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के
हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना
भाग पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने
हस्ताक्षर कर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा
अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह
सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के
उप कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा
कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के संलग्न की गई। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग
अलग लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को
करवाकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द कर नमूना
मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर नमूने का चौथा
अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर जोन को
कराकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या
एफ.एस.एस.एक्ट/2533/एक्ट/2015/1950 दिनांक 18/11/2015 में उक्त नमूना मिसब्राण्ड पाये
के पश्चात अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर जोन
ने उक्त जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व नियम 2011 के
24.3 के अन्तर्गत नमूने के द्वितीय भाग को जांच हेतु रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद
करवाया गया। उक्त नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद से प्राप्त
रिपोर्ट संख्या सी. 901/15-आर.एफ.एल./56 दिनांक 15.01.2016 में उक्त नमूना
मिसब्राण्ड एवं मिलावट होना जाने के पश्चात अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा
स्वास्थ्य सेवाये जयपुर जोन जयपुर ने मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से नमूने
के रिपोर्ट संख्या एल.एस/2533/एक्ट/2015/1950 दिनांक 18/11/2015 एवं
जांच की जांच रिपोर्ट संख्या सी. 901/15-आर.एफ.एल./56 दिनांक 15.01.2016 को
एफएसएसए/2016/54 दिनांक 01/02/2016 के द्वारा विक्रेता को भिजवाते हुए

मुझे दी गई तथा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश
का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011
26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं
अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51,52 के अनुसार दण्डनीय है। इसलिए
पर भारी जुर्माना आरोपित किया जावे। उपरोक्त प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए
को दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान
सुनवाई जर्ने नोटिस सूचित किया गया।

गैर सायलान की ओर से जर्ने अधिवक्ता उपस्थित होकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत
में वर्णित तथ्यों को गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि
द्वारा किसी प्रकार का कोई निरीक्षण मौके पर नहीं किया गया ना ही कोई गत्ते के
डबल फिल्टर सरसों तेल विक्रय हेतु रखा गया था, ना ही विक्रेता रामसिंह से कोई
की रसीद प्राप्त की एवं ना ही उसके हस्ताक्षर करवाये गये। 5ए. की रिपोर्ट
में बैठे-बैठे आवेदक ने तैयार कर रामसिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रकरण अशुद्ध मन
हथों से असल तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है, जो प्रथम दृष्टया देखने
खारिज होने योग्य है।

बहस सुनी गयी तथा प्रकरण के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेजात का
किया गया। गैर सायलान एवं उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वर्णित तथ्यों
गलत होना बताया। परन्तु उनकी ओर से अपने कथनों के समर्थन में कोई
रिकॉर्ड एवं शाहदत प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि दूसरी ओर आवेदक द्वारा
कार्यवाही में गवाहों की उपस्थिति में लिये गये नमूनों की लैबोर्ट्री से करवाई गई जांच
खाद्य पदार्थ डबल फिल्टर सरसों तेल (नन्दी) को सब-स्टैंडर्ड एवं मिसब्राण्ड होना
या है, जो पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट से प्रमाणित है। इस प्रकार गैर सायलान द्वारा
एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का
उल्लंघन करने के दोषी होना प्रकट होते हैं, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम
एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अनुसार दण्डनीय है। इसलिए उक्त प्रावधानों के
में गैर सायलान को जुर्माना से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्तगण/गैर सायलान (1) श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री ग्यारसीलाल
(विक्रेता) मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल, भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा
कोटपूतली जिला जयपुर निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा
पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (2) श्री ग्यारसीलाल गुर्जर (मालिक) मैसर्स
ऑयल मिल, भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली
जयपुर निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा पो0 पावटा
कोटपूतली जिला जयपुर पर 100000 (एक लाख रूपये) शास्ति आरोपित की जाती
जर्ने चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा करवाकर रसीद चालान पेश करें।

पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक
20/2017 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


न्याय निर्णायक उपाधी,
अतिरिक्त न्याय
कोटपूतली, जिला जयपुर